2017/00084

# न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

## पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

**रसद आवेदन पत्र संख्या 08/2017**

**प्रार्थी**

राजस्थान सरकार जरिये
थानाधिकारी पुलिस थाना,
चौहटन

बनाम्

**अप्रार्थीगण**

1.जगदीश पुत्र धोकलाराम
जाति विश्नोई निवासी उपरला
तहसील,चौहटन–वाहन मालिक
2.खीहरदान पुत्र रामचन्द्रदान
जाति चारण निवासी बींजासर
तहसील चौहटन वाहन चालक

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1.श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2.गंगाराम विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

**निर्णय** दिनांक 17.04.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2017 को पुलिस उप अधीक्षक वृताधिकारी वृत चौहटन को जरिये मुखबिर सूचना मिली की चौहटन से सरूपे का तला चलने वाली प्राइवेट बस नम्बर आरजे04 पीए 2342 का मालिक व चालक सरूपे का तला के राशन डीलर हरलाल महेश्वरी से राशन का केरोसीन अवैध रूप से खरीद कर बस के ईंधन के रूप में काम लेते है आज भी बस की ईधन टंकी में राशन का केरोसीन भरा हुआ है। यह बस सरूपे का तला से चौहटन आ रही है, बस को तत्काल चैक किया जाए तो राशन का नीला केरोसीन बरामद हो सकता है। इस पर पुलिस उप अधीक्षक वृताधिकारी वृत चौहटन मय पुलिस जाब्ता के चौहटन से बाखासर रोड पर कृषि मण्डी चौहटन के सामने नाकाबन्दी करने पर बाखासर की तरफ से बस नम्बर आरजे 04 पी ए 2342 आई, जिसे बावर्दी पुलिस जाब्ता द्वारा ईशारा कर रूकवाकर चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम बाबूलाल पुत्र रूधाराम जाति मेगवाल निवासी सरूपे का तला बताया। चालक से बस की ईंधन की टंकी मे भरे ईंधन के बारे में पूछने पर टंकी में डीजल भरा होना बताया जिस पर रूबरू मौतबिरान बस की ईधन टेंक का ढक्कन खुलवाकर नली से टंकी मे भरा ईधन एक बोतल में निकलवाया तो टंकी में नीले रंग का तरल पदार्थ पाया गया मौतबिरान एंव पुलिस जाब्ता द्वारा देखा,सूघा तो उक्त तरल पदार्थ नीला केरोसीन होना पाया गया। बस चालक को उक्त केरोसीन खरीदने के बिल का पूछा गया तो बिल नहीं

जिला कलक्टर
बाड़मेर

होना बताया। मौतबिरान के रूबरू बस की ईधन टंकी से भरा नीला केरोसीन एक बड़े जरीकेन में प्लास्टिक नली से निकाला गया तो कुल 52 लीटर केरोसीन हुआ। उक्त केरोसीन में से कांच की दो बोतल में केरोसीन भरकर सेंपल लिये गये,शेष 50 लीटर को कब्जा में लिया जाकर प्रार्थी ने 50 लीटर नीला केरोसीन एंव बस नम्बर आरजे 04 पीए 2342 बरामद कर इसका निस्तारण करने हेतु यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया।

2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया एंव बरामद केरोसीन का अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये। पुलिस द्वारा बरामद बस नम्बर आरजे 04 पीए 2342 को जमानतनामा एंव सुपुर्दगीनामा पर वाहन मालिक जगदीश पुत्र धोकलाराम जाति विश्नोई निवासी उपरला तहसील चौहटन को सुर्पुद करने के आदेश पारित किये।

3. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई हाजिर आये। जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रार्थी द्वारा बरामद केरोसीन अप्रार्थी का नही है। बरामद केरोसीन से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। केरोसीन जब्त किया जाता है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है। बरामद बस जगदीश पुत्र धोकलाराम जाति विश्नोई निवासी उपरला तहसील चौहटन का है, जो किराये पर चलता है। इसमे वाहन मालिक की कोई गलती नही है। अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया हैं। इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए आवश्यक अधिनियम की कर्यवाही समाप्त कर वाहन मुक्त किया जाए।

5. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रंथम,बाड़मेर का यह तर्क है कि अप्रार्थीगण द्वारा नीले रंग का केरोसीन कालाबाजारी में बेचने की नीयत से अवैध रूप से बस में परिवहन किया जा रहा था। वक्त बरामदगी अप्रार्थीगण के पास केरोसीन रखने एंव परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस एंव परमिट नहीं पाया गया। इसलिये बरामद केरोसीन व केरोसीन के उपयोग में लिये गये वाहन बस को जब्त सरकार किया जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण से दिनांक 08.01.2017 को 50 लीटर नीले रंग का केरोसीन बस नम्बर आरजे 04 पीए 2342 से परिवहन करते हुए बरामद किया गया है। इस केरोसीन तेल को रखने हेतु अप्रार्थीगण के पास वक्त बरामदगी कोई अनुज्ञा पत्र एंव परमिट नहीं पाया गया। इससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण द्वरा बिना वैध कागजात के उक्त बस नम्बर आरजे 04 पीए 2342से केरोसीन को कालाबाजारी में परिवहन किया जा रहा था। नीले रंग का केरोसीन उचित मूल्य की दुकान के मार्फत उपभोक्ताओं को वितरण किया जाता है। यह

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

केरोसीन खुले बाजार में विक्रय नहीं किया जाता है। राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 3 के सब क्लाज 2 के अनुसार अनुज्ञाधारी व्यक्ति के अलावा और कोई व्यक्ति नीले रंग के केरोसीन को न तो रख सकता है और न ही विक्रय कर सकता है। मगर अप्रार्थीगण ने बिना अनुज्ञा पत्र व परमिट के नीले रंग के केरोसीन का संग्रह करने एंव अनाधिकृत रूप से रखने के फलस्वरूप क्लाज 3 के सब क्लाज 2 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी आदेश KEROSEN (RESTRICTION ON USE & FIXATION OF CEILING PRICE)ORDER,1993 क्लाज 3(1) का उल्लंघन किया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 50 लीटर नीला केरोसीन जब्त सरकार करने योग्य है। प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 50 लीटर नीला केरोसीन के परिवहन हेतु बस नम्बर आरजे 04 पीए 2342 उपयोग मे लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए)के उक्त परन्तुक का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी वाहन मालिक जगदीश पुत्र धोकलाराम जाति विश्नोई निवासी उपरला तहसील चौहटन पर 15,000/—अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी जुर्माना की राशि 15 योम में जमा कराकर जमा की रसीद पेश करें। 15 दिन की अवधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण से बरामद 50लीटर नीले रंग का केरोसीन को राजसात(CONFI SCATE) किया जाता है। चूँकि बरामद केरोसीन का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर